# न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 01/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 6.1.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

**उनवान**

प्रहलाद पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी ग्राम भावगढ तहसील मांगरोल जिला बांरा।
..... अपीलार्थी

**बनाम**

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा।
2.जिला कलक्टर, बांरा।
.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मुकेश मीणा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

**:: निर्णय ::**

दिनांक 18.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण सं. 98/2018 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान प्रहलाद बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 17.7.2019 के विरूद्ध न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 49/2018 धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम भावगढ तहसील मांगरोल की आराजी भूमि नम्बर 168, 175 रकबा 0.92 है0 किस्म बजंड पर अतिकमी मानकर दिनांक 16.2.2018 को 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 1492/–रूपये तावान से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 17.7.2019 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.7.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.2.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बावत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालो की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नही लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय पारित किया है विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है व जुर्माना बकाया नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

स्थिति स्पष्ट थी कि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से पूर्व मे कब्जा छोड दिया था तथा पत्रावली मे स्वतंत्र गवाह नही है और ना ही कोई बेदखलनामा की प्रति है। पटवारी हल्का बालून्दा की कब्जा छोडने की रिपोर्ट दिनांक 31.12.19 संलग्न पत्रावली है। अपीलांट पर किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नही है। तावान राशि जमा करवा दी है। आज मौके पर वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा नही है। अतः निर्णय दिनांक 17.7.2019 व निर्णय दि0 16.2.18 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.2.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बावत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालो की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नही लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है व जुर्माना बकाया नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट थी कि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से पूर्व मे कब्जा छोड दिया था तथा पत्रावली मे स्वतंत्र गवाह नही है और ना ही कोई बेदखलनामा की प्रति है। पटवारी हल्का बालून्दा की कब्जा छोडने की रिपोर्ट दिनांक 31.12.19 संलग्न पत्रावली है। अपीलांट पर किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नही है। तावान राशि जमा करवा दी है। आज मौके पर वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा नही है। अतः निर्णय दिनांक 17.7.2019 व निर्णय दि0 16.2.18 निरस्त करने का अनुरोध किया।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे अपीलार्थी के कथन का खण्डन करते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। उक्त आराजी से अपीलार्थी को पूर्व मे अतिचार करने पर मिसल नम्बर 49/17 निर्णय दिनांक 8.2.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सरकारी भूमि किस्म गै.मु. खाल है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है, क्योंकि पूर्व मे अपीलार्थी को मिसल नम्बर 49/17 निर्णय दिनांक 8.2.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिनांक 16.2.2018 को निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क कि "परीक्षण न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया ना

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

ही स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी।" पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/तथ्यों के विपरीत होने से स्वीकार योग्य नही है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने भी अपील प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.7.2019 पारित किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे परीक्षण न्यायालय तथा अधीनस्थ प्रथम अपीलेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है।

8 परिणामस्वप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 98/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 17.7.2019 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 18.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/1/2021

( कैलाश चन्द मीना )
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा